

09/12/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-91/2024-25

प्रकाश खलखो आवेदक।

बनाम्

विनोद प्रसाद सिंह विपक्षी।

आदेश

आवेदक प्रकाश खलखो, पिता-स्व० हरिहर उराँव, निवासी ग्राम-इन्द्रपुरी रोड नं०-02, थाना-सुखदेव नगर, जिला-राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षी विनोद प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-इन्द्रपुरी रोड नं०-03, थाना-सुखदेव नगर, जिला-राँची ने छल प्रपंच कर जमीन हड़प लिये हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
कठरगोन्दा	201	11	347	2.48 डी०

आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं, खतियान में गंजु उराँव नाम दर्ज है। गंजु उराँव अपने पीछे हरिहर खलखो एवं भोलानाथ उराँव को छोड़ गये। हरिहर खलखो अपने पीछे प्रकाश खलखो को छोड़ गये, जो इस वाद में आवेदक है। विपक्षी विनोद प्रसाद सिंह ने आवेदक के 2.48 डिसमिल जमीन को जबरन छल-प्रपंच कर हड़प लिए हैं। जबकि आवेदक तथा इनके वंशज ने प्रश्नगत भूमि को कभी नहीं बेचे हैं। विवादित जमीन पंजी-02 में गंजु उराँव के नाम से दर्ज है तथा 2024-25 तक लगान हेहल अंचल को दे रहे हैं।

विपक्षी को न्यायालय से कई बार नोटिस निर्गत किया गया किंतु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए, तत्पश्चात् समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में दिनांक-05.07.2025 को नोटिस प्रकाशित किया गया। परंतु विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय

09/12/25

कृ०पू०उल्टे

09/12/25

द्वारा समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित होने के बाद भी विपक्षी को पर्याप्त समय दिया गया, परन्तु विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद आवेदक ने दिनांक-02.09.2025 को वाद को एकपक्षीय करने हेतु आवेदन दिया गया, जिसे स्वीकार करते हुए, वाद को एकपक्षीय कर दिया गया तथा आवेदक को गवाह प्रस्तुत करने का आदेश हुआ।

आवेदक की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गया, गवाह सं०-01, प्रकाश खलखो; पिता-स्व० हरिहर खलखो ने शपथ-पत्र दाखिल किये हैं, जिसमें कहते हैं कि मैं इस वाद में आवेदक हूँ। मैंने भू-वापसी के यह केस दायर किया हूँ। विपक्षी ने जबरन जमीन को कब्जा कर लिए है, जबकि उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि खतियान गंजु उराँव के नाम पर है, जो मेरे दादा है। विपक्षी 08 वर्ष पूर्व मेरे जमीन को हड़पे हैं।

आवेदक का गवाह सं०-02, कैलाश तिर्की, पिता-स्व० चौधरी तिर्की अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि मैं आवेदक और विपक्षी को जानता हूँ। यह आवेदक की खतियानी जमीन है तथा लगान रसीद भी कट रहा है। गंजु उराँव आवेदक के दादा थे। विपक्षी विनोद प्रसाद सिंह ने जमीन को हड़प लिए हैं तथा छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए यह वाद भू-वापसी के लिए किया है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। आवेदक गंजु उराँव के पोता हैं। जमीन 04-05 वर्ष से बना है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, साथ ही लिखित बहस भी दाखिल की गई। जिसमें कहते हैं कि तकरारी जमीन मेरी खतियानी जमीन है। आर०एस० खतियान में गंजु उराँव नाम दर्ज है। वे मेरे दादा हैं। गंजु उराँव अपने पीछे हरिहर खलखो एवं भोलानाथ उराँव को छोड़ गए। हरिहर खलखो की मृत्यु के बाद आवेदक उपरोक्त भूमि के उत्तराधिकारी हुए। मेरी जमीन को सामान्य व्यक्ति विपक्षी विनोद प्रसाद सिंह ने छल-प्रपंच हड़प लिए हैं तथा एसबेस्टस का घर बना लिए हैं। विपक्षी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-71"A" का उल्लंघन कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यह आदिवासी खाते की जमीन है। अतः वर्णित भूमि मुझे वापस होना चाहिए। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति दाखिल किया

09/12/25

कृ०पृ०उल्ले

09/12/25

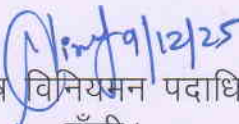
गया है, जिसे 'X' Mark किया गया एवं अंचल रसीद को 'X'/1 Mark किया गया है।

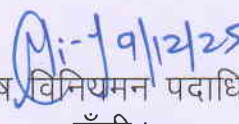
न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, जिसमें कहते हैं कि आर०एस० खतियान में गंजु उराँव नाम दर्ज है। अंचल में भी दाखिल-खारिज गंजु उराँव के नाम पर है। अनुसूचित जनजाति की जमीन को विपक्षी विनोद प्रसाद सिंह सामान्य वर्ग के व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-71"A" का उल्लंघन हुआ है। जिस कारण आवेदक की जमीन आवेदक को वापस होना चाहिए।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं कागजातों का अवलोकन करने तथा सरकारी अधिवक्ता का बहस सुनने से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि CNT Act 1908 की धारा-71"A" के तहत विपक्षी को जमीन से बेदखल करते हुए आवेदकगण को भूमि वापस की जाती है। विपक्षीगण को यह आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर यदि कोई संरचना हो तो उसे 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, हेहल को मौजा-कठरगोन्दा खाता सं०-11, प्लॉट सं-347, रकबा-2.48 डिसमिल जमीन पर आवेदक प्रकाश खलखो के पक्ष में दखल-देहानी हेतु आदेश निर्गत करें तथा आवेदक सहित उनके अन्य वैध वंशजों को दखल-देहानी दिलाना सुनिश्चित करें।

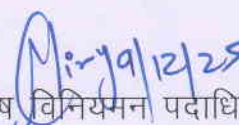
लेखापित एवं संशोधित।


विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।


विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक:- 426 (ii) दिनांक:- 09/12/25

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, हेहल, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल-देहानी हेतु प्रेषित।


विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।